भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *225
17.03.2025 को उत्तर के लिए

केरल में अपतटीय खनन के लिए रेत ब्लॉकों की नीलामी का प्रस्ताव

***225. श्री के. सी. वेणुगोपाल :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अपतटीय खनन के लिए रेत ब्लॉकों की नीलामी के केन्द्र के प्रस्ताव से पहले इसके पर्यावरण पर प्रभाव संबंधी कोई व्यापक आकलन किया गया था और यदि हां, तो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण सहित तत्संबंधी प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मछली पकड़ने वाले स्थानीय समुदायों की समस्याओं, विशेषकर मछली प्रजनन स्थलों के बाधित होने तथा पारंपरिक आजीविका को बनाए रखने हेतु आवश्यक प्रवासन किए जाने आदि समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित अपतटीय रेत खनन के दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिए राज्य प्राधिकरणों और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ समन्वय किया है तथा पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू होने तक इस प्रस्ताव को वापस लेने या निलंबित रखने पर कोई विचार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा केरल के तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को संरक्षित रखने के लिए कौन सी योजना बनाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'केरल में अपतटीय खनन के लिए रेत ब्लॉकों की नीलामी का प्रस्ताव' के संबंध में श्री के. सी. वेणुगोपाल, माननीय सांसद द्वारा दिनांक 17.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *225 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) खान मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत समन्वित लाइसेंस (अन्वेषण-सह-उत्पादन पट्टे) प्रदान करने के लिए 13 अपतटीय ब्लॉकों की नीलामी का पहला चरण दिनांक 28/11/2024 को शुरू किया गया था। इसमें केरल के तट पर क्षेत्रीय समुद्री सीमा के बाहर रेत के खनन कार्य के लिए तीन अपतटीय ब्लॉक शामिल हैं।

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता के सुरक्षा उपायों तथा मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2024 के अनुसार, कोई उत्पादन प्रचालन केवल अनुमोदित उत्पादन योजना के अनुसार ही किया जाएगा। उत्पादन योजना और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), जिसे प्रत्येक पट्टेदार द्वारा अन्वेषण या उत्पादन कार्यकलाप शुरू करने से पहले प्रस्तुत करना अपेक्षित है, को तैयार करते समय मछुआरों और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। इन योजनाओं में संभवतः निम्नलिखित शामिल होंगे:

- मछली पकड़ने के कार्यकलापों में व्यवधान को न्यूनतम करने के लिए मत्स्य पालन प्रभाव आकलन संबंधी अध्ययन।
- नौवहन सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि मछली पकड़ने के क्षेत्र और समुद्री मार्ग सुलभ रहें।
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यनीतियां ।

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 16क में अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास, एक गैर-लाभकारी, स्वायत्त निकाय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास की स्थापना का.आ. 3246 (अ) दिनांक 09/08/2024 के माध्यम से की गई थी। तटीय राज्यों को न्यास के शासी निकाय और कार्यकारी समिति के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। न्यास को मिलने वाली निधि का उपयोग अपतटीय क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान, प्रशासन, अध्ययन और संबंधित व्यय के साथ-साथ इन क्षेत्रों में प्रचालनों के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभाव के उपशमन के लिए किया जाएगा। यह न्यास अपतटीय क्षेत्रों में आपदाओं की स्थिति में भी राहत प्रदान करेगा और अन्वेषण या उत्पादन प्रचालनों से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के कल्याण के लिए भी काम करेगा।

केरल सरकार ने केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (केसीजेडएमए) की सिफारिश के आधार पर सीआरजेड अधिसूचना 2019 के अनुसार सीजेडएमपी को अद्यतन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मंत्रालय ने ऐसी सिफारिशों के आधार पर केरल के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) को मंजूरी प्रदान की है और इस समय सीआरजेड अधिसूचना 2019 के प्रावधान लागू हैं। सीआरजेड अधिसूचना 2011 और 2019 के अनुसार, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), जो समुद्र की तरफ निम्न ज्वार रेखा (एलटीएल) से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, के भीतर रेत, चट्टानों और अन्य भू-गर्भीय सामग्रियों का खनन प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधान क्षेत्रीय समुद्री सीमा अर्थात् 12 समुद्री मील तक लागू होते हैं।

*****